सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 20, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 09, 2024 *Magha 20 Friday , Saka 1945- February 09 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 31, 2024

संख्या प. 31(7) गृह-9/2022 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार इसके द्वारा राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दो महिने की समाप्ति पर उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 मार्च 2052 तक की अवधि के लिए सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, सीमा सुरक्षा बल, जिला जोधपुर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु नीचे बताये सम्पूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विर्निदिष्ट भाग में चांदमारी तथा तोपखाने का अभ्यास अधिकृत करने हेतु एक विज्ञप्ति जारी करने का अपना आशय विज्ञापित करती है।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम दईजर तह. एवं जिला जोधपुर की आराजी खसरा नं. 138 रकबा 1604-18 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड राजकीय भूमि में से 692 बीघा 10 बिस्वा भूमि ।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2023

संख्या प.31(3)गृह-9/2023 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 01 नवम्बर 2043 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु 87 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, पोकरण जिला जैसलमेर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरण

87 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, पोकरण जिला जैसलमेर को आवंटित ग्राम रामदेवरा, तहसील पोकरण की खसरा नं 206/01 रकबा 212.10 बीघा भूमि।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।